MJCR/567/2024
जानकी सिंह वि. राज्य

06.07.24 राज्य द्वारा ए.डी.पी.ओ. श्री एल.पी. कुर्मी उप.।

आवेदक जानकी सिंह सहित अधि. श्री जे.पी. विश्वकर्मा उप.।

प्र. अग्रिम कार्यवाही हेतु नियत है।

मूल वि.प्र.क्र. 9/2000 लोका. वि0 शिवनारायण सिंह प्राप्त होकर संलग्न है।

पत्रावली व मूल प्रकरण के अवलोकन से दर्शित है कि मूल वि.प्र.क्र. 9/2000 में पारित निर्णय एवं दंडाज्ञा दिनांक 12.09.2002 के विरूद्ध माननीय उच्च न्यायालय, जबलपुर में प्रस्तुत दांडिक अपील क्रमांक **1370/2002** में पारित **निर्णय दिनांक 22.02.23** में माननीय उच्च न्यायालय द्वारा निम्नानुसार आदेशित किया गया है:–

> "28. Accordingly, the appeal is allowed. The conviction of the original appellant for the offence punishable under Sections 7 and 13(1)(d) read with Section 13(2) of Prevention of Corruption Act, 1988 is set aside and the original appellant is acquitted of all the charges against him. The amount of fine, if deposited, shall be refunded to the appellant."

माननीय उच्च न्यायालय के उपरोक्त आदेश के अनुपालन में अपीलार्थी श्रीमति जानकी सिंह पत्नि स्व. शिवनारायण सिंह, आयु लगभग 55 वर्ष, निवासी मकान नंबर 366, नेहानगर, मकरोनिया, तह. व जिला सागर म.प्र. द्वारा अर्थदंड की राशि 40,000/–(चालीस हजार) रूपये उसे वापिस दिये जाने का निवेदन किया है।

यह व्यक्त किया गया है कि प्रकरण का निर्णय वर्ष 2002 का है, जिस कारण अर्थदंड की रसीद उनके पास उपलब्ध नहीं है, क्योंकि मूल अभियुक्त की मृत्यु भी हो चुकी है।

अर्थदंड पंजी–ए के अवलोकन से दर्शित है कि वि.प्र.क्र. 9/2000 में पारित निर्णय एवं दंडाज्ञा दिनांक 12.09.2002 के अनुपालन में दिनांक 05.10.2002 अर्थदंड की राशि 40,000/–रू. जमा करायी गयी थी। ऐसी दशा में अर्थदंड रसीद के अभाव में भी कार्यवाही की जा सकती है।

श्रीमति जानकी सिंह ने अपीलार्थी शिवनारायण सिंह के मृत्यु प्रमाणपत्र की स्वप्रमाणित छायाप्रति अपनी पहचान के संबंध में आधार कार्ड क्रमांक 55XX-XXXX-06X3 एवं स्टेट बैंक ऑफ इंडिया में संधारित स्वयं के खाता क्र. 10979289721 की पासबुक की स्वप्रमाणित प्रति प्रस्तुत की है।

मान. उच्च न्यायालय के आदेशानुसार 40,000/–रू. की राशि आवेदक श्रीमति जानकी सिंह को अदा की जाना है।

अतः आवेदक जानकी सिंह को 40,000/–रूपये का रिफंड वाउचर दिया जाकर प्राप्ति ली जाये।

आदेश की एक प्रति मूल प्रकरण में भी संलग्न कर मूल प्रकरण वापस अभिलेखागार भेजा जाये।

प्रकरण का परिणाम दर्ज कर प्रकरण नियत समयावधि में अभिलेखागार प्रेषित हो।

हस्ता/–
आलोक मिश्रा
विशेष न्यायाधीश
भ्रष्टा.नि.अधि. सागर म.प्र.